न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बूंदी

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
2.2.25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगणों द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली वास्ते साधिक कार्यवाही दिनांक 24.2.25 को पेश हो।
24.2.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 28.2.25 को पेश हो।
28/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 30.5.24 को किया जा चुका है जिससे प्रार्थी संतुष्ट है। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण के खातेदारी खसरों पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र के कुछ चरण स्थान के खसरों का ही जिक्र है। तहसीलदार रिपोर्ट में अंकित खसरा नम्बरान जिनका सीमाज्ञान किया जा चुका है, उनकी पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम जजावर तहसील नैनवां के खसरा नम्बर 2034 रकबा 0.2103 हे०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2035 रकबा 0.1052 हे0, 4226/2034 रकबा 0.0324 हे0, 4227/2035 रकबा 0.0647 हे0, 4228/2035 रकबा 0.0566 हे0, 4152/2034 रकबा 0.1133 हैक्टे0, 4153/2245 रकबा 0.0243 हे0, 2245 रकबा 0.0809 हे0, 4327/2035 रकबा 0.0243 हे0, तथा ग्राम खोढी पटवार हल्का जजावर की खसरा सं. 2089/2006 रकबा 0.0647 हे0, 2090/2007 रकबा 0.0243 हे0, 2091/2009 रकबा 0.0405 हे0, 2092/2011 रकबा 0.0243 हे0, 2006 रकबा 0.1861 हे0, ख.सं. 2007 रकबा 0.0728 हे0, 2009 रकबा 0.0971 हे0, 2011 रकबा 0.0728 हे0 तथा खसरा सं. 2084/2005 रकबा 0.0566 हेक्टेयर भूमियों किसी न्यायालय का स्थगन नही हो तो, तहसीलदार नैनवां को नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा करने पर आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	